

उपायुक्त का कार्यालय, (जिला कल्याण शाखा), गिरिडीह।

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

वित्तीय वर्ष 2017-18 में गिरिडीह जिला अन्तर्गत कल्याण विभागीय अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, जमुआ/खरगडीहा एवं अनुसूचित जन जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, पीरटांड (गिरिडीह) में खाद्य/अखाद्य सामग्री एवं लेखन सामग्रियों की आपूर्ति हेतु दिनांक 28.04.2017 को 12:00 बजे दिन तक शील बंद लिफाफा में अल्पकालीन निविदा जिला कल्याण शाखा, गिरिडीह में आमंत्रित किया जाता है। उसी तिथि को 04:30 बजे अपराहन में निविदा को उप विकास आयुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के सदस्यों के बीच खोला जाएगा। निविदा खुलने के समय निविदा दाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदा की शर्तें एवं आपूर्ति किए जानवाले खाद्य/अखाद्य सामग्री एवं लेखन सामग्री की सूची निम्न प्रकार है।

1. खाद्य/अखाद्य सामग्री :-

चावल उसना (परमल), चावल अरवा (गोविन्दभोग), पोलाव का चावल (इण्डियागेट), अरहर दाल (अखरा), मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल, आटा, चना, गूड, मूंगफली दाना भूना हुआ, चूड़ा भूना हुआ, सूजी, चीनी, सत्तु, डालडा, पापड, चूड़ा, मक्खन, सरसो का तेल, रिफाईन्ड तेल, बेसन, पनीर, हल्दी, मिर्चा, धनीयां, जीरा, गोलमिर्च (गोटा एवं पीसा हुआ), गोटा गर्म मशाला, पंचफोरन, तेजपत्ता, आयोडीन युक्त नमक, खस्सी/मुर्गा मांस, अंडा, मछली, दुध, आलू, प्याज, लहसून, अदरक, हरामिर्च, सलाईस ब्रेड, नहाने का साबून, (बड़ा एवं छोटा) कपड़ा धोने का साबून एवं डिटर्जेंट पाउडर, नील (रॉबीन), सोडा पाउटर, फिनाईल, झाड़ू नारियल का, झाड़ू फूल का, लकड़ी, कोयला, फल (मोसमी फल) यथा (आम, केला, सेव, तारबूज, अंगूर, नासपति, संतरा इत्यादि), हरी सब्जियां (सभी प्रकार की), सलाद आइटम (खीरा, टमाटर, मूली, गाजर इत्यादि) कॉलगेट, ब्रश, जीभी, सेम्पू, दलिया/उपमा निर्माण की सामग्री, काबली चना, उडद दाल, दही, काला नमक, मंगरैला, मीठा, जलेबी, राजमा, देशी घी, अचार पैकट, किसमीस, गडी, छूहाडा, हॉर्लिक्स, मीट मशाला, पनीर मशाला, चिक्केन मशाला इत्यादि।

2. लेखन सामग्री का नाम:-

रूलिंग कॉपी 192 पृष्ठ, सादी कॉपी 192 पृष्ठ, अंग्रेजी कॉपी 192 पृष्ठ, लम्बी कॉपी 192 पृष्ठ, प्रायोगिक कॉपी X वर्ग के लिए, प्रायोगिक कॉपी IX वर्ग के लिए, कलम रिनोल्ड, पेंसिल नटराज, रबर केमिलीन, कटर केमिलीन, खल्ली लोकल, डस्टर लोकल, औजार बॉक्स केमिलीन, ग्राफ कॉपी लोकल, रिफिल रिनोल्ड, सूचना पट्ट (3'X2 1/2'), बलैक बोर्ड (5'X3'), प्लास्टिक स्केल 12'', बलैक बोर्ड पेन्ट 1000 ML, सादा कागज, एटलस, ग्लोब आदि।

निविदा की शर्तें www.giridih.nic.in website पर Upload किया गया है।

निविदा शर्तें

1. निविदा दाता को जे0 एस0 टी0/सी0 एस0 टी0 धारक होना चाहिए। वाणिज्य कर का अद्यतन स्वच्छता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदा दाता को अद्यतन आयकर का स्वच्छता प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
3. निविदा दाता को अपना दर सभी कर (वैट) सहित देना होगा।
4. न्यूनतम दर एवं गुणवत्ता वाले नमूने के आधार पर मूल्य दर का निर्धारण किया जाएगा। इस हेतु सामग्री का नमूना अलग-अलग पारदर्शी डब्बे में दिखाना होगा।
5. निविदा दाता को निविदा के साथ 50000.00 (पचास हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जिला कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक/भारत सरकार के अधीनस्त बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जमा करना होगा।
6. आपूर्ति आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर संबंधित विद्यालय में जा कर आपूर्ति करनी होगी जिसके लिए अलग से परिवहन/पैकिंग व्यय नहीं दिया जाएगा प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में अगले माह के

लिए खाद्यन्ना सामग्रियों की आपूर्ति करना होगा।

7. किसी भी कोटेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत या शिथिल करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
8. निविदा दो लिफाफों में टेक्नीकल बीड एवं फाईनेंसियल बीड अलग-अलग सील करके एक लिफाफा में जमा करना होगा।

क) टेकनिकल बीड वाले लिफाफे में निम्नलिखित कागजात होंगे:-

- (i) वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 का ऑडिट रिपोर्ट की स्वच्छ स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
- (ii) वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 का Vat ऑडिट रिपोर्ट की स्वच्छ स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
- (iii) अग्रधन की राशि का डिमांड ड्रॉफ्ट।
- (iv) कार्यानुभव प्रमाण-पत्र।

ख) फाईनेंसियल बीड वाले लिफाफे में निम्नलिखित कागजात होंगे:-

- (i) इस लिफाफा में सिर्फ सामग्रियों की दर उपलब्ध कराना है।
9. निविदादाता का टेक्नीकल बीड सही पाये जाने पर ही फाईनेंसियल बीड एवं नमूना खोला जाएगा।
10. क्रय किये जाने वाले लेखन सामग्री की सूची जिला कल्याण कार्यालय, गिरिडीह से किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
11. फर्म काली सूची में दर्ज नहीं है संबंधी शपथ पत्र देना होगा।
12. निविदादाता का 50.00 लाख वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए।
13. स्थानीय आपूर्तिकर्ता एवं चार वर्षों का अनुभव प्राप्त आपूर्तिकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी झारखण्ड राज्य के सरकारी आवासीय या किसी अन्य विद्यालय में कम से कम तीन वर्ष का खाद्यान्न एवं दैनिक उपयोग की सामग्री का सफल आपूर्ति करने का कार्यानुभव होना अनिवार्य होगा।
14. आपूर्ति आदेश निरस्त करने पर भविष्य में कोई दावा नहीं करने संबंधित शपथ पत्र मूल रूप में देना होगा।

3/5/2017
जिला कल्याण पदाधिकारी,
गिरिडीह।
